न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर.जे.एस.**

निय.फौज. प्र.सं. :– **44/2025**

सी०आई०एस० नं. :– **471/2025**

प्र.सू.रिपोर्ट सं० :– **27/2025, थाना महिला, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

फरीद अहमद पुत्र स्व. श्री वकार अहमद, उम्र 41 साल, निवासी सारगपाडा, जीटी रोड, धौलपुर थाना कोतवाली, जिला धौलपुर।

---अभियुक्त

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से** - विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्त की ओर से** - विद्वान अधिवक्ता श्री आरिफ हमीद।

अपराध की दिनांक	08.01.2025	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	21.06.2025
प्र.सू.रि. की दिनांक	03.02.2025	**बहस अंतिम की दिनांक**	12.03.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	01.04.2025	**निर्णय की दिनांक**	12.03.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	21.06.2025	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध
1.	**फरीद अहमद**	-	-	85,316(2),351(3),352 बीएनएस	दोषमुक्त

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	श्रीमती सीबा	मुस्तगीसा व धारा 180, 183 बीएनएसएस साक्षी
2.	श्रीमती सलमा	फर्द पेशकशी दहेज सामान व फर्द सुपुर्दगी दहेज सामान व धारा 180 बीएनएसएस साक्षी

"Authenticate Document"

3.	रफीकुद्दीन	धारा 180 बीएनएसएस साक्षी
4.	फारुख खान	धारा 180 बीएनएसएस साक्षी
5.	जावेद	धारा 180 बीएनएसएस साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी.01	परिवाद
2.	प्रदर्श पी.02	एम एल आर नहीं कराने बाबत् तहरीर
3.	प्रदर्श पी.03	फर्द अस्थायी सुपुर्दगी दहेज सामान
4.	प्रदर्श पी.04	फर्द पेशकशी दहेज सामान
5.	प्रदर्श पी.05	न्यायालय में हुए बयान धारा 183 बीएनएसएस
6.	प्रदर्श पी.06	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह श्रीमती सीबा
7.	प्रदर्श पी.07	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह श्रीमती सलमा
8.	प्रदर्श पी.08	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह रफीकुद्दीन
9.	प्रदर्श पी.09	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह फारुख खान
10.	प्रदर्श पी.10	बयान धारा 180 बीएनएसएस गवाह जावेद

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल।

अपराध अन्तर्गत धारा 85, 316(2), 351(3), 352 बीएनएस।

-- निर्णय --

दिनांक:- 12.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया श्रीमती सीबा कुरैशी ने एक परिवाद इस न्यायायल में अभियुक्तगण फरीद व अन्य के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 31.10.2023 को फरीद अहमद के साथ माया पैलेस मैरिज होम धौलपुर में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज में नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कपडे, बर्तन, घर-गृहस्थी का अन्य सामान इत्यादि दिया था। उक्त समस्त दान दहेज में दिये गये सामान की लिस्ट इस्तगासा के साथ संलग्न है। निकाह के उपरान्त कुछ दिनों तक तो मुल्जिमानों प्रार्थीया को ठीक तरह से रखा, परन्तु उसके बाद प्रार्थीया को दहेज के अनुसरण में शारीरिक व मानसिक पीडा पहुंचाने लगे। प्रार्थीया ने कई बार मुल्जिमान की शिकायत अपने

"Authenticate Document"

माता पिता से की, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जायेगा। लेकिन प्रार्थीया के ससुरालीजन मुल्जिमान के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे अतिरिक्त दहेज के रूप में प्रार्थीया से एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लाट की मांग करने लगे। प्रार्थीया आज से करीब एक माह पूर्व ससुर वकार अहमद की मृत्यु के बाद अपनी ससुराल आती जाती रही, तो ससुराल में एक दिन शाहरूख ने जबरन प्रार्थिया के कमरे में घुसकर डरा धमका कर मुंह बन्द कर प्रार्थिया के प्राईवेट पार्ट से छेडकानी की तथा प्रार्थिया के साथ बुरा काम करने का प्रयास किया। तब जैसे तैसे प्रार्थिया ने अपने आपको मुल्जिम संख्या 07 शाहरूख के चंगुल से छुडाया, परन्तु ससुराल में प्रार्थिया के ससुर की मृत्यु का शोक होने के कारण प्रार्थिया ने शाहरूख के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। लेकिन प्रार्थिया ने उक्त घटना की सूचना अपने माता पिता व पति फरीद अमहद को दी, तो 01 लगायत 07 मुल्जिमान ने प्रार्थिया को मां बहन की गाली गलौज कर उसकी लात घूसों थाप थप्पडों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर उक्त घटना के बारे में चुप रहने को कहा। प्रार्थिया को मुल्जिमान ने अतिरिक्त दहेज की मांग के अनुसरण में प्रार्थीया के साथ मारपीट कर मात्र शरीर पहने हुये कपडों में दिनांक 10.04.2024 को ससुराल से निकाल दिया। तब प्रार्थीया ने मुल्जिमान से अपना स्त्रीधन मांगा, तो उन्होने देने से साफ इंकार कर दिया। प्रार्थिया व उसके माता पिता ने कई बार मुल्जिमान से निकाह मे दिये गये दान दहेज के सामान को वापिस मांगा, तो उन्हौंने देने से इंकार कर दिया। मुल्जिमान ने प्रार्थिया का समस्त स्त्रीधन अपने कब्जे में कर रखा है.....इत्यादि पर बाद सुनवाई उक्त परिवाद अनुसंधान हेतु पुलिस थाना महिला, धौलपुर धारा 175(3) बीएनएसएस में प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 27/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 76, 85, 351(3), 352, 3(5), 316(2) बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना महिला, धौलपुर द्वारा अभियुक्त फरीद अहमद के विरूद्ध धारा 85, 316(2), 351(3), 352 बीएनएस में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

2. अभियुक्त को धारा 85, 316(2), 351(3), 352 बीएनएस के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने विचारण परिवादिया व अभियुक्त के मध्य दिनांक 06.03.2026 को धारा 316(2), 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत राजीनामा पेश किया गया, जिसे बाद जांच व अनुमति तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 351(3), 352 बीएनएस के अपराध के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85 बीएनएस के विरूद्ध का विचारण करना शेष है।

"Authenticate Document"

4. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 351 बीएनएसएस लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

5. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्त को गलत फंसाया गया है। अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग व क्रूरता परिवादिया के साथ नहीं की गई है। परिवादिया व अन्य गवाहान अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुए है, जिनकी साक्ष्य अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करती है और ना ही ऐसी कोई तात्विक साक्ष्य दी है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हों। ऐसे में पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने औपचारिक विरोध किया।

6. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

7. **प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-**

1. ***क्या अभियुक्त की मुस्तगीसा श्रीमती सीबा कुरैशी के साथ दिनांक 31.10.2023 को हुए निकाह के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया ?***

2. ***यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?***

8. इस प्रकार उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विवेचन किया जाये, तो प्रकरण में परिवादिया श्रीमती सीबा कुरैशी व अभियुक्त फरीद अहमद के मध्य विवाह होना स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण की परिवादिया श्रीमती सीबा कुरैशी बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.01 के तौर पर परीक्षित हुई है और उसके द्वारा दिये गये सशपथ बयानों से उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 में वर्णित तथ्यों की ताईद नहीं हुई है। अपितु शादी के बाद स्वयं का अपने ससुराल में अच्छे ढंग से रहने व उससे किसी के द्वारा कोई दान-दहेज की मांग नहीं किये जाने का कथन किया एवं आगे गवाह ने घरेलू काम काज को लेकर उसका उसके पति से कहासुनी हो जाने पर वकील के जरिये मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया है। स्वयं परिवादिया अभियोजन की ओर से

"Authenticate Document"

पक्षद्रोही घोषित हुई है और अभियोजन द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अभियुक्त द्वारा उससे दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट की मांग किये जाने के तथ्य से स्पष्ट रुप से इंकार किया है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-06 का ए से बी भाग पुलिस को देने से भी इंकार किया है। परिवादिया ने अभियुक्त द्वारा उससे किसी भी प्रकार से दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट की मांग किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है और अभियुक्त से राजीनामा होना बताया है। इस प्रकार परिवादिया के कथनों से उसे अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट को लेकर उसे तंग परेशान सामने नहीं आया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.02 श्रीमती सलमा कुरैशी व पी.ड.03 रफीकुद्दीन हैं जो कि परिवादिया के माता-पिता है, उन्होंने भी ऐसे ही सशपथ कथन न्यायालय में किये है तथा उनके कथनों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और यह गवाहान भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पी.ड.04 फारुख खान व पी.ड.05 जावेद अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुए है।

9. प्रकरण में जिस अपराध का आरोप अभियुक्त पर है उसके संबंध में परिवादिया व उसके परिवारीजन ही प्रमुख व महत्वपूर्ण गवाह हो सकते थे परन्तु परिवादिया व उसके परिवारीजन के पक्षद्रोही होने से अभियोजन कहानी निष्फल हो जाती है। उक्त गवाहों के द्वारा दिये गये कथनों से परिवादिया से अतिरिक्त दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट की मांग करना तथा उक्त दहेज की मांग को लेकर उसको तंग, परेशान किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना भी स्वीकृत तथ्य रहा है।

10. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन यह युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त की मुस्तगीसा श्रीमती सीबा कुरैशी के साथ दिनांक 31.10.2023 को हुए निकाह के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर उसके पति होते हुए उससे अतिरिक्त दहेज में एक फोर व्हीलर गाडी व एक प्लॉट की मांग की एवं उक्त मांग पूर्ति के लिए मुस्तगीसा को शारीरिक एवं मानसिक रुप से तंग व परेशान कर मारपीट की एवं क्रूरुतापूर्ण व्यवहार करके उसे प्रताडित किया। फलतः अभियुक्त का किसी प्रकार से परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है जिस कारण से अभियुक्त धारा **85 बी.एन.एस.** के अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- **<u>आदेश</u>** -

11. परिणामतः अभियुक्त **फरीद अहमद पुत्र स्व. श्री वकार अहमद, उम्र 41 साल, निवासी सारगपाडा, जीटी रोड, धौलपुर थाना कोतवाली, जिला धौलपुर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **85 बी.एन.एस.** में पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त को पूर्व में धारा **316(2), 351(3), 352 बीएनएस** में जरिये **राजीनामा दोषमुक्त** किया चुका है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत्

"Authenticate Document"

जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु धारा **481 बी.एन.एस.एस.** के तहत अभियुक्त **10,000/- रूपये** की राशि का स्वयं का मुचलका व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति आगामी **छः माह** के लिये पेश कर तस्दीक करायें।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

"Authenticate Document"
Digitally signed by
DURGA MAHAWAR